प्रेसनोट, दिनांक 22.01.2026

थाना बिहार, जनपद उन्नाव

थाना बिहार पुलिस ने 15 घण्टे के अंदर 03 गुमशुदा लड़कियों को सकुशल बरामद किया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में थाना बिहार पुलिस द्वारा तीन गुमशुदा लड़कियों को 15 घण्टे के अंदर सकुशल बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.01.2026 को थाना क्षेत्र बिहार के ग्राम अकठी निवासी वादी द्वारा थाना बिहार पर तहरीरी सूचना दी कि मेरी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष अपनी गाँव की दो सहेलियों उम्र करीब 22 वर्ष व उम्र करीब 20 वर्ष के साथ दिनांक 21.01.2026 को शाम 04.00 बजे घर से चने का साग लेने गई थी व वापस घर लौटकर नहीं आई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 21.01.2026 को मु0अ0सं0-17/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर तीनों पीड़िता / अपहता की सकुशल बरामदगी हेतु तत्काल तलाश / सुरागरसी पतारसी प्रारम्भ की गयी। थानाध्यक्ष बिहार श्री राहुल सिंह व उ0नि0 कृष्ण कुमार सिंह, म०कां० पूनम राजपूत व सर्विलांस सेल की सहायता से अन्य साक्ष्य संकलित करते हुए तीनों लड़कियों को ग्राम मनिकापुर से 15 घण्टे के अंदर आज दिनांक 22.01.2026 को सकुशल बरामद किया गया। थाना बिहार पुलिस द्वारा तीनों लड़कियों को बाद बयान परिजनों के सुपुर्द किया गया।

प्रेसनोट, दिनांक 22.01.2026

जनपद उन्नाव

उन्नाव पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गुमशुदा बच्चों व किशोरियों की सकुशल बरामदगी

संवेदनशीलता व तत्परता का परिचय: उन्नाव पुलिस ने गुमशुदा नाबालिगों को सुरक्षित परिजनों से मिलाया

उन्नाव पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों एवं किशोरियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दो अलग-अलग प्रकरणों में संवेदनशीलता, सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए सभी को सुरक्षित उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

<u>प्रकरण–01</u>

दिनांक 21.01.2026 को समय करीब 11:42 बजे थाना असोहा, जनपद उन्नाव क्षेत्रांतर्गत अपर्णा शर्मा पत्नी आशीष कुमार शर्मा निवासी भाऊमऊ द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गई कि उनके दो नाबालिग पुत्र लक्ष्य (उम्र करीब 14 वर्ष, कक्षा 06) एवं संस्कार (उम्र करीब 09 वर्ष, कक्षा 04) सुबह करीब 08:00 बजे घर से अपने विद्यालय सूर्यकांत त्रिपाठी सरवइया इंटर कॉलेज जाने के लिए निकले थे, किंतु वे न तो स्कूल वैन में बैठे और न ही विद्यालय पहुंचे। उक्त सूचना पर दोनों बच्चों के कहीं अन्यत्र चले जाने की आशंका व्यक्त की गई।सूचना प्राप्त होते ही थाना असोहा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर परिजनों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए सघन खोजबीन अभियान प्रारंभ किया गया। पुलिस टीम की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप मात्र 03 घंटे के भीतर दोनों गुमशुदा बच्चों को ग्राम गोमापुर, थाना सोहरामऊ क्षेत्र से सकुशल बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

<u>प्रकरण–02</u>

दिनांक 21.01.2026 को थाना बिहार क्षेत्रांतर्गत ग्राम अकठी निवासी वादी द्वारा थाना बिहार पर तहरीरी सूचना दी गई कि उनकी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष, अपनी गाँव की दो सहेलियों (उम्र करीब 22 वर्ष एवं 20 वर्ष) के साथ दिनांक 21.01.2026 को समय करीब 04:00 बजे सायं चने का साग

लेने के लिए घर से निकली थी, किंतु वापस घर नहीं लौटी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिहार पर मु0अ0सं0–17/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर तीनों पीड़िताओं/अपहृताओं की सकुशल बरामदगी हेतु तत्काल तलाश, सुरागरसी एवं पतारसी प्रारंभ की गई। थानाध्यक्ष बिहार श्री राहुल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 कृष्ण कुमार सिंह, म0का0 पूनम राजपूत एवं सर्विलांस सेल के संयुक्त प्रयासों से तकनीकी व अन्य साक्ष्य संकलित करते हुए तीनों लड़कियों को ग्राम मनिकापुर से मात्र 15 घंटे के भीतर दिनांक 22.01.2026 को सकुशल बरामद किया गया। आवश्यक कार्यवाही एवं बयान उपरांत तीनों किशोरियों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उक्त दोनों सराहनीय कार्य श्री जय प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन तथा श्री अखिलेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के प्रभावी पर्यवेक्षण में संपन्न हुए। उन्नाव पुलिस की इस त्वरित, संवेदनशील एवं मानवीय कार्रवाई से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

प्रेसनोट, दिनांक 22.01.2026
थाना मौरावां, जनपद उन्नाव

पुलिस मुठभेड़ में गोवध व गैंगस्टर एक्ट का आरोपी दबोचा गया

पुलिस पर जानलेवा हमला करने की घटना मे शामिल था मुठभेड़ मे घायल बदमाश

आज दिनांक 22.01.2026 को समय करीब 19.30 बजे थाना मौरावां पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा थाना मौरावां क्षेत्रांतर्गत मौरावां कालूखेडा मार्ग पर स्थित जियो पेट्रोल पम्प के पास चेकिंग के दौरान एक बदमाश मो0 नईम खां उर्फ मोटू पुत्र स्व0 ईदू उम्र करीब 24 वर्ष निवासी पिंक बूथ बंथरा सिंकदरपुर थाना बंथरा जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया,बदमाश के बांये पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर एक जिंदा व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.01.2026 को थाना असोहा क्षेत्रान्तर्गत पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की घटना मे पकडी गयी स्कार्पियो कार का चालक होने की बात स्वीकार की है। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद सीतापुर के थाना कमलापुर मे मु0अ0सं0 256/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 379/429 भादवि, जनपद उन्नाव के थाना असोहा मे क्रमशः मु0अ0सं0 283/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 411/420 भादवि, मु0अ0सं0 284/23 धारा 3(2)(1) गैंगेस्टर एक्ट व मु0अ0सं0 11/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।